



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2420]

नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 29, 2010/अग्रहायण 8, 1932

No. 2420]

NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 29, 2010/AGRAHAYANA 8, 1932

संस्कृति मंत्रालय

( भारतीय पुरात्व सर्वेक्षण )

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 नवम्बर, 2010

का.आ. 2854(अ).—प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 (1958 का 24) की धारा 2 के खण्ड (घ ब) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार, नीचे दी गई तालिका के कॉलम (2) में उल्लिखित निम्नलिखित अधिकारियों को, जिनका स्तर केंद्र सरकार के पुरातत्व निदेशक अथवा पुरातत्व आयुक्त के स्तर से कम नहीं है, उक्त अधिनियम की धारा 20 ग और 20 घ के प्रयोजनों के लिए कथित तालिका के कॉलम (3) में उल्लिखित क्षेत्राधिकार के संबंधित क्षेत्रों के लिए एतद्वारा सक्षम प्राधिकारी विनिर्दिष्ट करती है।

तालिका

क्र सं	अधिकारी का पदनाम	क्षेत्राधिकार का क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
1.	विशेष सचिव, शहरी विकास, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
2.	निदेशक, पुरातत्व, महाराष्ट्र सरकार, मुम्बई	महाराष्ट्र राज्य में मुम्बई मंडल
3.	आयुक्त, संस्कृति और पुरातत्व, छत्तीसगढ़ सरकार, रायपुर	छत्तीसगढ़ राज्य

[फा. सं. 1-8/2010-एम]

प्रवीण श्रीवास्तव, अपर महानिदेशक

**MINISTRY OF CULTURE**  
(ARCHAEOLOGICAL SURVEY OF INDIA)

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 24th Noveber, 2010

S.O. 2854(E).— In exercise of the powers conferred by the proviso to clause (db) of section 2 of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 (24 of 1958), the Central Government hereby specifies the officers mentioned in column (2) of the Table given below, being officers not below the rank of Director of archaeology or Commissioner of archaeology of the Central Government, as the competent authority, for the respective areas of jurisdiction mentioned in column (3) of the said Table, for the purposes of sections 20C and 20D of the said Act.

**TABLE**

Serial number	Designation of the officer	Area of jurisdiction
(1)	(2)	(3)
1.	Special Secretary, Urban Development, Government of National Capital Territory of Delhi.	The National Capital Territory of Delhi.
2.	Director of Archaeology, Government of Maharashtra, Mumbai.	Mumbai Circle in the State of Maharashtra.
3.	Commissioner, Culture and Archaeology, Government of Chhattisgarh, Raipur	State of Chhattisgarh.

[F.No. 1-8/2010-M]

PRAVIN SRIVASTAVA, Addl. Director-General

(1)	(2)	(3)